अवलोकनार्थ

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

10 JUL 2015

क्रमांक प.3(77)नविवि / 3 / 2010पार्ट–IV

जयपुर, दिनांक 10 JUL 20

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय :— आवासीय योजनाओं में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि का अन्तिम उपयोग बैंक (वित्तीय संस्था), रेस्टोरेन्ट व मनोरंजन क्लब आदि किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 116वीं बैठक दिनांक 25.05.2015 के प्रस्ताव स. 116:19, 116:20, 116:31, 116:32 व 116:37 में उल्लेखित प्रकरणों में आवासीय योजनाओं में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूखण्ड का अन्तिम उपयोग बैंक (वित्तीय संस्था), रेस्टोरेन्ट व मनोरंजन क्लब आदि किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आवासीय योजना में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूखण्ड उस योजना में निवास करने वाले भूखण्डधारियों हेतु सामान्यतया: स्कूल, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, अन्य सामुदायिक सुविधाएं (पुलिस चौकी, वाचनालय, अग्निशमन केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र), पानी की टंकी, सॉलिड वेस्ट कलेक्शन सेन्टर, विद्युत सब स्टेशन आदि प्रयोजनार्थ आरक्षित किये जाते है। जयपुर विकास प्राधिकरण की उक्त बैठक दिनांक 25.05.2015 में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूखण्डों को व्यवसायिक श्रेणी के प्रयोजनों यथा बैंक (वित्तीय संस्था), रेस्टोरेन्ट व मनोरंजन क्लब आदि बाबत आवंटन किया गया है, जो कि सुविधा क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते है एवं योजना के मूल चरित्र (Charactor) के विरूद्ध हैं।

उपरोक्त बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णयों को निरस्त किया जावे साथ ही टाउनशिप पॉलिसी के अन्तर्गत अनुमोदित ले–आउट प्लान, आवासीय ग्रुप हाउसिंग व अन्य [illegible] की योजनाओं में आरक्षित सुविधा क्षेत्र की भूमि के समस्त भूखण्डों को चिन्हित कर लैण्ड बैंक तैयार किया जावें।

उपरोक्तानुसार लैण्ड बैंक तैयार किये जाने के पश्चात् योजनावार सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूखण्डों का पूर्ण विवरण यथा भूखण्ड का नाप, क्षेत्रफल व पहुंच मार्ग की चौडाई की सूचना दिनांक 31.07.2015 तक इस विभाग को भिजवाये जाने का श्रम करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

ACTP-BPC | MP | STP BPC | ... | TH
DC-1 to 19

14/7/15

15/7